

किसान उत्पादक संगठन



रंग लायेगी किसानों की एकता, किसान उत्पादक संगठन (FPO) के पायदे

सूरज अवस्थी, सुनील कुमार, आकांक्षा सिंह एवं सैयद फैसल किरमानी
कृषि प्रसार, कृषि विभाग, इंटीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

Email Id: surajavasthi95@gmail.com

परिचय

एकता में ही सफलता के राज छुपे होते हैं। यही कारण है कि भारत सरकार की योजना किसानउत्पादक संगठन बनाकर किसानों को सशिक्तकरण प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती—किसानी में आपसी सहयोग के लिये एकजुट करना है। जानकारी के लिये बता दें कि कि भारत सरकार के इस योजना से करीब 60,000 छोटे और सीमांत किसानों को सीधे लाभ पहुंच रहा है। इसके तहत किसानों को खेती—किसानी से जुड़े कामों में आर्थिक और सामाजिक सहयोग मिलता है। इस योजना से लाभ लेने वाले किसानों को बाजार में भी अपनी फसलों का मोलभाव करने में आसानी होती है।

किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक रजिस्टर्ड ग्रुप होता है, जो खेती—किसानी से संबंधित मामलों में किसानों की मदद करता है। इससे किसानों को आपसी सहयोग के चलते फसलों की खरीद—बिक्री करने में आसानी होती है। इस योजना के तहत सरकार 2023–24 तक देशभर में 10000 नए कृषि उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों के हितों की रक्षा

कृषि कुंभ (अप्रैल, 2023),
खण्ड 02 भाग 11, पृष्ठ संख्या 42–43

की जा सके और उन्हें फसलों के वाजिब दाम मिल सकें।

क्या है किसान उत्पादक संगठन

किसान उत्पादक संगठन यानी कुछ और नहीं, बल्कि किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वयं सहायता समूह हैं, जहां किसान ही किसान की मदद करते हैं। इन किसान उत्पादक संगठनों से जुड़कर किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, ग्रीन हाउस, पॉलीहाउस, कृषि तकनीक, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, आर्थिक मदद और तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि किसान का मनोबल बढ़े और वो खेती में बिना किसी अड़चन के बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

कोरोना महामारी के समय जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था अस्त—व्यस्त हो चुकी थी, उस समय किसान उत्पादन संगठनों के सहयोग से हजारों – लाखों किसानों ने फसलों के बेहतर दाम हासिल किए। आपदा के दौर में भी खेती—किसानी को जारी रखा। केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों की ताकत को परखा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना को हरी झंडी दिखाई।

कैसे काम करते हैं किसान उत्पादन संगठन

जैसा कि नाम से ही साफ है कि किसान उत्पादन संगठन पूरी तरह से किसानों को संगठन होता है। इन संगठनों में सदस्य किसान ही एक दूसरे मदद का जिम्मी उठाते हैं। हर एक किसान उत्पादक संगठन में कम से 11 किसानों का होना अनिवार्य है। इन संगठनों में हर तबके का किसान होता है। यहां आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के किसान भी सदस्य बन सकते हैं। लघु और सीमांत किसानों से लेकर बड़े किसानों को भी सदस्यता दी जाती है। ये एफपीओ अपने सदस्य किसानों को आपसी सहयोग से लोन, फसल की बिक्री, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग आदि की सुविधा मुहैया करवाते हैं, ताकि किसान को इधक-उधर चक्कर ना लगाने पड़ें। इन किसान उत्पादक संगठनों से जुकर खुद का एग्री बिजनेस या कस्टम हायरिंग सेंटर भी चालू कर सकते हैं। इन संगठनों में शामिल किसानों को आवश्यकता पड़ने पर आदानों और सेवाओं को रियायती खर्च में उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे खेती की लागत कम होती है और किसान को सही मुनाफा कमाने में भी आसानी रहती है।

किसान उत्पादक संगठन के फायदे

- इस योजना से जुड़ने वाले किसानों को 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे किसान

कृषि मशीनरी, बीज, खाद और उर्वरक आदि की खरीद सुनिश्चित कर सकें।

- इस योजना के जरिये किसानों को बेहतर कमाई करने का मौका मिलता है
- इस योजना से जुड़कर किसान अपनी फसलों का प्रसंस्करण आदि करके आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं
- नये किसान उत्पादक संगठनों को सरकार 3 साल में 18 लाख रुपये देती है, जिससे किसान अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
- पहाड़ी क्षेत्रों में इस योजना से 100 किसानों को जोड़ा जाता है।
- समतल क्षेत्र में 300 किसानों मिलकर एक किसान उत्पादक संगठन बना सकते हैं।
- खुद की जमीन पर खेती करने वाले किसान ही किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं।

निष्कर्ष

पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों को किसानों की मदद के लिये प्रोत्साहित किया है। हालाँकि किसान उत्पादक संगठनों से मिलने वाले लाभ की वजह से निश्चित ही कृषि आय में वृद्धि होगी, परंतु फिर भी यह छोटे और सीमांत किसानों को उचित आय प्रदान करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।